[2022] 19 एस सी आर 168

एम. एच. डी. एफ. आई. आर. ओ. जेड

वी.

मध्य प्रदेश राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 612)

अप्रैल 19,2022

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 , 376 (2) (i), 376 (2) (एम), 363,366, एमओएचडी।

376 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

छोटे बच्चे-पीड़ित-अपीलार्थी-अभियुक्त पर एक अन्य अभियुक्त व्यक्ति के साथ हमला करने के अपराधों के लिए निचली अदालत द्वारा क्रमशः मौत की सजा और आजीवन कारावास का दोषी ठहराया गया था। एसएस। 302 , 376 (2) (i), 376 (2) (m), 363,366 आई. पी. सी. आर/डब्ल्यू। एस. 5 ((i) आर/डब्ल्यू। एस. 6 और एस। 5 (एम) आर/डब्ल्यू। एस. 6 पॉक्सो अधिनियम-उच्च न्यायालय, खारिज करते हुए

अपील में, अपीलार्थी के संबंध में निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की गई लेकिन अन्य आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया गया

इस प्रकार, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है कि क्या मुकदमा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष तरीके से चलाया गया था और अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था क्योंकि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था-क्या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त रूप से साबित किया था

"अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत के संबंध में परिस्थिति क्या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त रूप से "की निकटता" को साबित किया था

समय 'अर्थात' पीड़ित को अंततः अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ देखे जाने और उस समय के बीच का अंतराल जब वह घायल और खेत में बेहोश पाई गई थी '-आयोजितः तत्काल मामले में, न तो अपीलार्थी द्वारा आई. डी. 1 की धारा 313 के तहत अपने आगे के बयान में कोई स्पष्टीकरण दिया गया था और न ही गवाहों की प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई ठोस बचाव किया गया था।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित की गई परिस्थिति-पीड़ित को अंततः अपीलार्थी के साथ देखे जाने के बीच का समय अंतराल-आरोपी और वह समय जब वह मैदान में घायल और बेहोश पाई गई थी, मुश्किल से 12 घंटे का था-उक्त चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी-अभियोजन पक्ष ने उस समय की निकटता साबित कर दी थी जब

एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य

पीड़ित को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था और जब पीड़ित को बेहोश और घायल हालत में पाया गया था, जो अंततः

परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई-अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था या अभियुक्त को कानूनी सहायता या कानूनी सहायता से वंचित किया गया था-अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के संबंध में नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा लिए गए विचार, इसे कम करना उचित समझते हैं, और तदनुसार आजीवन कारावास की सजा के लिए मौत की सजा को कम करते हैं। s.302 आई. पी. सी.-प्रतिशोधात्मक न्याय और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के तराजू को संतुलित करते हुए, अपीलार्थी-अभियुक्त, को बीस साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई

आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत अपराध के लिए अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास। सजा-पुनर्स्थापनात्मक न्याय-पुनर्स्थापनात्मक न्याय के मूल सिद्धांतों में से एक अपराधी को एक अवसर देना है

हुए नुकसान की मरम्मत करना और सामाजिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बनना।

व्यक्ति जब जेल से रिहा होता है-निर्धारित अधिकतम सजा हमेशा अपराधी के अपंग मन को ठीक करने के लिए निर्धारक कारक नहीं हो सकती है-इसलिए, प्रतिशोधात्मक न्याय और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के पैमाने को संतुलित करते हुए।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः जैसा कि आरोप लगाया गया है, तारीख और समय पर 'आर' के साथ अपीलार्थी की यात्रा के संबंध में पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी और जिसे अपीलार्थी ने स्वीकार किया था। इस तरह की स्वीकारोक्ति से उनकी पहचान भी साबित हो गई थी। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता है कि कोई भी दोषसिद्धि आई. डी. 1 की धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त के बयान के आधार पर नहीं हो सकती है और अभियोजन पक्ष को स्वतंत्र और ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके अभियुक्त के अपराध को साबित करना होता है, फिर भी यह कानून का समान रूप से स्थापित प्रस्ताव है कि जब अभियुक्त

उत्तेजक और उत्तेजक बयान, के उत्तेजक भाग

अभियोजन के मामले को विश्वास दिलाने के लिए बयान की सहायता ली जा सकती है। तत्काल मामले में भी, हालांकि अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषसिद्धि केवल उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की पूर्व दिन शाम को सूचना देने वाले के घर जाने की परिस्थिति के उसके स्वीकार करने पर नहीं की जा सकती थी, इस तरह के प्रवेश को निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को आश्वासन देने के लिए लिया जा सकता था [पैरा 23 और 24] [188-ई-जी; 190-ई] [2022] 19 एस. सी. आर.

1.2 अगली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत के संबंध में थी। इस संबंध में, यदि गवाहों का संस्करण

अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की बारीकी से सराहना की जाती है,

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विधिवत साबित हो गया था कि 'एच' द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को अपने घर पर रहने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद, 'आर' ने घर छोड़ दिया था, लेकिन अपीलार्थी सूचना देने वाले के घर के आंगन में बैठता रहा। यह भी साबित हुआ कि उस समय पीड़ित अपने चचेरे भाइयों के साथ उक्त प्रांगण में खेल रही थी और कुछ समय बाद अपीलार्थी-आरोपी, पीड़ित और आर. के. को प्रांगण में नहीं देखा गया। पीड़ित की मां के अनुसार, जब वह अपनी बेटी की तलाश कर रही थी, तो उसने देखा कि आर. के. केले वाला एक पॉलिथीन बैग लेकर आ रहा था, और आर. के. ने उसे बताया कि उक्त केले भाईजान ने दिए थे।

अर्थात्, अपीलार्थी, और कि वह (अर्थात भाईजान) पीड़ित को अपने साथ ले गया था। उक्त आर. के. ने उक्त की पूरी तरह से पुष्टि की थी।

आर. के. के संस्करण ने अदालत और फल विक्रेता के समक्ष अपने बयान में यह भी कहा था कि अपीलकर्ता दो बच्चों के साथ केले खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आया था और उसने आर. के. को तीन केले दिए थे और उसे घर छोड़ने के लिए कहा था, और वह पीड़ित को अपने साथ ले गया था। इन गवाहों के साक्ष्य पर केवल इसलिए विश्वास नहीं किया जा सका क्योंकि वे सूचना देने वाले के रिश्तेदार थे। अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए इनमें से किसी भी गवाह से जिरह के दौरान कोई ठोस बचाव नहीं किया गया था। गवाहों के साक्ष्य में कुछ मामूली विसंगतियों को अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए प्रमुख विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है।

अभियोजन पक्ष को ओवरबोर्ड या अविश्वास करें। यह भी विधिवत साबित हुआ कि अपीलार्थी-अभियुक्त कथित घटना की शाम को पीड़ित को फल विक्रेता की दुकान से अपने साथ ले गया था, जो अभियुक्त के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत परिस्थिति साबित हुई थी। [पैरा 25] [190-एफ-एच; 191-ए-ई]

1.3 एक बार "आखिरी बार एक साथ देखे जाने" का सिद्धांत स्थापित हो जाने के बाद, अभियुक्त से कुछ स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा की गई थी

किन परिस्थितियों में उसने पीड़ित की कंपनी को अलग कर दिया था। यह शायद ही दोहराया जाना चाहिए कि आपराधिक न्यायशास्त्र में, अभियुक्त के अपराध को साबित करने का पूरा बोझ अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है, फिर भी यदि अभियुक्त कोई प्रकाश एम. ओ. एच. डी नहीं डालता है।

एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार जो तथ्य उसके विशेष ज्ञान में साबित होते हैं, अभियुक्त की ओर से ऐसी विफलता उसके खिलाफ साबित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी भी प्रदान कर सकती है। में से बेशक, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष का भार अभियुक्त पर नहीं डालती है, और न ही अभियुक्त से उन तथ्यों के संबंध में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता होती है जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं, फिर भी अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण देना या न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा, जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत को उसके खिलाफ साबित किया जाता है, यह जानने के लिए कि कैसे और कब

अभियुक्त ने पीड़ित की कंपनी को अलग कर दिया। [पैरा 26] [191-ईएच; 192-ए] 1.4 तत्काल मामले में, हालांकि यह विधिवत साबित हो गया था कि अपीलार्थी-अभियुक्त पीड़ित को दुकान से अपने साथ ले गया था

फल विक्रेता, न तो अपीलार्थी द्वारा आई. डी. 1 की धारा 313 के तहत अपने आगे के बयान में कोई स्पष्टीकरण दिया गया था और न ही गवाहों की प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई ठोस बचाव किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि इसके बाद

भागलपुर। फरार आरोपी का उक्त आचरण भी उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित किया गया था। [पैरा 30] [194-एफ-एच] 1.5 जहाँ तक समय की निकटता का संबंध है, अन्य साक्ष्यों के साथ, अभियोजन पक्ष ने निकटता साबित की थी

उस समय की निकटता जब पीड़ित को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था और जब पीड़ित बेहोश और घायल अवस्था में पाया गया था

स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हो गई। [पारस 31 और 32] [195-ई-एफ]

1.6 मुकदमे को निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं किए जाने के संबंध में अगला मुद्दा, सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है

कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था या कि अपीलार्थी अभियुक्त को कानूनी सहायता या कानूनी सहायता से वंचित होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। निचली अदालत ने [2022] 19 एस. सी. आर. की कीमत पर एक वकील नियुक्त करके दोनों अभियुक्तों को कानूनी सहायता प्रदान की।

राज्य, जिसने अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए सभी गवाहों से पूरी तरह से जिरह की थी, और अभियुक्त आर की ओर से दो गवाहों से भी जिरह की थी। इस तथ्य के अलावा कि मुकदमे के दौरान या उच्च न्यायालय के समक्ष भी दो अलग-अलग वकीलों द्वारा अभियुक्त द्वारा दायर दो अलग-अलग अपीलों में ऐसा कोई तर्क नहीं उठाया गया था, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा वर्तमान अपील के ज्ञापन में भी ऐसा कोई तर्क नहीं उठाया गया है। अभियुक्त की ओर से अपनी दलीलों के अंतिम छोर पर उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुति कि उक्त प्रस्तुति को प्रमाणित किए बिना कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई थी, पर विचार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, यह ध्यान दिया जा सकता है कि आगे के बयान को दर्ज करने के दौरान, अपीलार्थी-अभियुक्त ने अदालत द्वारा दर्ज किए गए उत्तरों से उत्पन्न होने के रूप में पूरी तरह से समझने के बाद, अपने संज्ञान में लाई गई आपत्तिजनक परिस्थितियों का जवाब दिया था। यह संभव है कि विचाराधीन घटना ने बड़े पैमाने पर जनता के साथ-साथ मीडिया के बीच भी आक्रोश पैदा किया होगा, फिर भी रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि इस तरह के मीडिया दबाव के कारण, मुकदमा निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं किया गया था। [पारस 33,

34] [195 - जी; 196-ई-जी; 197-ए-बी] 1.7 अभिलेख पर सिद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से पहले और बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

जिस बिंदु से मृतक-पीड़ित को अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था, अदालत को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने सभी को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था। व्यक्तिगत रूप से परिस्थितियाँ और एक श्रृंखला बनाने वाली परिस्थितियों को भी साबित किया, इतना निर्णायक कि अपीलार्थी-अभियुक्त के अपराध को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना की संभावना को खारिज कर दिया। यह विधिवत साबित हो गया कि लगभग 4 वर्ष की आयु की छोटी बच्ची-पीड़ित पर बलात्कार और यौन हमले के बर्बर कृत्यों को करते हुए, अपीलार्थी-अभियुक्त ने शारीरिक चोटें पहुंचाई थीं, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। मुकदमे की सुनवाई

अदालत ने अपीलार्थी-अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 272,376 (2) (आई), 376 (2) (एम), 363,366 और धारा 5 (आई) के साथ धारा 6 और धारा 5 (एम) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ। दोषसिद्धि का उक्त आदेश एम. ओ. एच. डी.

एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी; और इस न्यायालय द्वारा आगे पुष्टि की जा रही है। [पैरा 36] [197-एफ-एच; 198-ए] 1.8 अगला प्रश्न जो विचार के लिए आता है, वह अपीलार्थी को दी जाने वाली सजा के संबंध में है। जबकि

अपीलार्थी को उसके विरुद्ध आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के संबंध में निचली अदालतों द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि करते हुए, यह न्यायालय इसे कम करना उचित समझता है, और तदनुसार आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा के लिए मौत की सजा को कम करता है। चूंकि आई. पी. सी. की धारा 376 ए मामले के तथ्यों पर भी लागू होती है। अपराध की गंभीरता और गंभीरता, अपीलार्थी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा एक उचित सजा होती, हालांकि, इस अदालत ने ऑस्कर वाइल्ड के कहने की याद दिला दी है-"संत और पापी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है।

और हर पापी का भविष्य होता है। इस न्यायालय द्वारा वर्षों से विकसित पुनर्स्थापनात्मक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों में से एक, अपराधी को हुए नुकसान की मरम्मत करने और जेल से रिहा होने पर सामाजिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बनने का अवसर देना भी है। अधिकतम सजा निर्धारित की जा सकती है अपराधी के अपंग मन को ठीक करने के लिए हमेशा निर्धारक कारक नहीं होना चाहिए। इसलिए, प्रतिशोधात्मक न्याय और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के पैमाने को संतुलित करते हुए, यह न्यायालय अपीलार्थी-अभियुक्त पर बीस साल की अवधि के लिए कारावास की सजा अधिरोपित करना उचित समझता है।

आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत अपराध के लिए अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास। आई. पी. सी. और पॉक्सो अधिनियम के तहत अन्य अपराधों के लिए निचली अदालतों द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लगाए गए सभी दंड एक साथ चलेंगे। [पारस 37 और 43] [198-बी; 200-डी जी; 201-ए]

मसाला बनाम यू. पी. राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202: [1964] एस. सी. आर. 133; अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 12 एस. सी. सी. 341: [2007] 7 एस. सी. आर. 983; के. अनबाझगन बनाम. पुलिस अधीक्षक और अन्य। (2004) 3 एससीसी 767: [2003] 5 पूरक। एससीआर 610; ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख

& एन. आर. बनाम गुजरात राज्य और अन्य। (2006) 3 एससीसी 374:

[2006] 2 एस. सी. आर. 1081-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984

(4) एससीसी 116: [1985] 1 एस. सी. आर. 88; मोहन सिंह बनाम प्रेम

सिंह और अन्र। (2002) 10 एस. सी. सी. 236 [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 5; राजेंद्र बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2019) 10

610 ; सूरजदेव महतो बनाम। बिहार राज्य (2022) 11 एस. सी. सी. 800; मेनका गांधी बनाम यू. ओ. आई. (1978) 1 एस. सी. सी. 248

: [1978] 2 एस. सी. आर. 621; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य

(1980) 2 एस. सी. सी. 684; माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य

(1983) 3 एससीसी 470 [1983] 3 एससीआर 413; शत्रुघ्न

बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 1 एससीसी 596 पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1964] एससीआर 133

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2007] 7 एससीआर 983

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2003] 5 पूरक। एससीआर 610

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2002] 3 पूरक। एससीआर 5

उस पर भरोसा करें

पैरा

(2019) 10 एस. सी. सी. 623

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

(2018) 6 एस. सी. सी. 610

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

(2022) 11 एससीसी 800

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1978] 2 एससीआर 621

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1983] 3 एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पैरा =

(2021) 1 एस. सी. सी. 596

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः क्रिमिनल एपिया

612 2019 से।

उच्च न्यायालय के 15.07.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपराधिक अपील सं। 09 , 292 3132 2013 से।

एम. एच. डी. एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य

बी. एच. मार्लापल्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री श्रेया रस्तोगी, सुश्री हरिनी रघुपति, सत्य मित्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पी. वी. योगेश्वरन, ए. ए. जी., पशुपति नाथ राजदान, सुश्री समृद्धि जैन, आस्तिक गुप्ता, सुश्री स्नेह बैरवा, प्रखर श्रीवास्तव, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. वर्तमान अपील शुरू में अपीलार्थी-अभियुक्त मोहम्मद की माँ, बीबी सिधिका द्वारा दायर की गई थी। फिरोज, वैधता को चुनौती देते हुए

और 2013 की आपराधिक संदर्भ संख्या 09,2013 की आपराधिक अपील संख्या 2920 और 2013 की आपराधिक अपील संख्या 3132 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश की वैधता। वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, उक्त अपीलार्थी की अवधि समाप्त होने के बाद, इस न्यायालय द्वारा 21.10.2021 पर पारित आदेश को देखते हुए अभियुक्त फिरोज को अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।

अभियोजन का मामलाः -

2. अभियोजन पक्ष का मामला जैसा कि निचली अदालत के समक्ष सामने आया था कि 17.04.2013 पर, लगभग 06 बजेः 30 प्रधानमंत्री, एक राकेश चौधरी

उसकी माँ हिमाबाई ने उक्त अज्ञात व्यक्ति को एक दिन के लिए आवास प्रदान करने के लिए, हालाँकि, हिमाबाई ने ऐसा प्रदान करने से इनकार कर दिया आवास। इसके बाद, राकेश चौधरी चला गया और उसका दोस्त शिकायतकर्ता के घर के आंगन में कुछ समय के लिए बैठा रहा, जहाँ लगभग चार साल की पीड़िता अपने भाई रामकिशन और अन्य चचेरे भाइयों के साथ खेल रही थी। कुछ समय बाद, रामकुमारी को पता चला कि उसकी बेटी लापता है और दूसरा व्यक्ति (आरोपी नं. 1) वह भी वहाँ नहीं था। उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी बेटी को आस-पास के स्थानों पर खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिली। कुछ समय बाद रामकिशन

कुछ केले लेकर आया और रामकुमारी को बताया कि भाईजान (आरोपी)

नहीं। 1) पीड़ित को अपने साथ ले गया था। रामकुमारी इसलिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए घनसौर पुलिस स्टेशन गई। अगले दिन यानी आई. डी. 1 की सुबह कुछ ग्रामीणों ने पाया कि एक लड़की बद्री यादव के खेत में बेहोश पड़ी थी। ऐसी जानकारी मिलने पर रामकुमारी का भाई श्याम यादव मौके पर गया

और पाया कि पीड़ित बेहोश पड़ी थी और उसके मुंह और नथुने से खून बह रहा था। वह तुरंत पीड़िता को पहले पुलिस स्टेशन ले गया और फिर घनसौर के सरकारी अस्पताल ले गया, हालांकि, चूंकि पीड़िता की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए उसे जबलपुर के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसकी जाँच और इलाज करने वाले डॉक्टरों ने पुष्टि की कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था। उसकी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पीड़िता को नागपुर के देखभाल अस्पताल ले जाया गया, हालाँकि, 29.04.2013 पर, पीड़िता की उक्त अस्पताल में मृत्यु हो गई। डॉ. प्रदीप गंगाधर दीक्षित, एक प्रोफेसर और फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग, मेडिकल कॉलेज, नागपुर में एच. ओ. डी. ने अपने सहयोगियों के साथ 30 अप्रैल 2013 को सुबह लगभग 1 बजे पीड़ित के शव का पोस्टमॉर्टम किया और पीड़ित के शरीर पर बाहरी और आंतरिक चोटों को नोट किया। मृत्यु का अंतिम कारण बताया गया था

" ब्रोंकोफ्यूमोनिया और सेरेब्रल हाइपोक्सिया, जो नाक और मुंह में दम घुटने के कारण हुआ था।

3. इस बीच, श्री आर. डी. बरथी, प्रभारी निरीक्षक, पुलिस स्टेशन, घनसौर, रामकुमारी द्वारा दी गई लापता व्यक्ति की रिपोर्ट पर

बाई ने जाँच शुरू की थी और पाया था कि आरोपी फिरोज खान (वर्तमान अपीलार्थी), जो झाबुआ बिजली संयंत्र में काम कर रहा था, ने पीड़ित को धोखे से दूर कर दें। इसलिए उन्होंने एक एफ. आई. आर. नं. दर्ज की। 68 2013 का अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 06 बजेः 40 आई. पी. सी. की धारा 363 और 366 के तहत अपराधों के लिए 18.04.2013 पर पूर्वाह्न। आरोपी राकेश चौधरी को 20 अप्रैल 2013 को गिरफ्तार किया गया था और अपीलकर्ता आरोपी फिरोज को 23 अप्रैल 2013 को हुसैनाबाद, पुलिस स्टेशन मोजाहिदपुर, बालसौर, भागलपुर, बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

4. जाँच अधिकारी ने जाँच पूरी करने के बाद

विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र। आरोपी मोहम्मद। फिरोज पर धारा 363 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था।

366 , 376 (2) (आई. पी. सी. की धारा 5 (आई), 5 (एम) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की धारा 6 के तहत आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एम) और 302।

अधिनियम, 2012 (इसके बाद पॉक्सो अधिनियम के रूप में संदर्भित), और आरोपी राकेश चौधरी पर धारा 363 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। और 366 आर/डब्ल्यू धारा 34 और आईपीसी की धारा 109 के तहत और पॉक्सो अधिनियम की धारा 16/17 के तहत। दोनों अभियुक्तों ने अपना अपराध छोड़ दिया और मुकदमा चलाने का दावा किया, अभियोजन पक्ष ने अपना अपराध साबित करने के लिए 34 गवाहों से पूछताछ की। दोनों अभियुक्तों ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया

उनके खिलाफ Cr.PC की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए उनके संबंधित आगे के बयानों में कहा गया है कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

एम. एच. डी. एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

आरोपी नं. 2 राकेश चौधरी ने अपने बचाव में दो गवाहों यानी डी. डब्ल्यू.-1 विरेंद्र चौधरी और डी. डब्ल्यू.-2 गोपाल प्रसाद अहिरवार से पूछताछ की। सिवनी की सत्र अदालत ने अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने के बाद दोनों अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने आरोपी फिरोज को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई और 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया। 2000 / - अपराध के लिए

धारा 363,10 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरना और 5 लाख रुपये का जुर्माना देना। 2000 / - आई. पी. सी. की धारा 366 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। 2000 / - अपराधों के लिए आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (आई), 376 (2) (एम) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (आई) आर/डब्ल्यू 6 और 5 (एम) आर/डब्ल्यू 6 के तहत। सत्र अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया

राकेश चौधरी को 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। 2000 / - धारा 363/34 के तहत अपराधों के लिए,

10 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना देना। 2000 / - धारा 366/34 के तहत अपराधों के लिए और आजीवन कारावास से गुजरना और रुपये का जुर्माना देना। 2000 / - धारा के तहत अपराध के लिए

109 आई. पी. सी. और पॉक्सो अधिनियम की धारा 16/17 के तहत अपराधों के लिए।

5. सत्र न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया संदर्भ

अभियुक्त को मौत की सजा की पुष्टि के लिए जबलपुर में एम. पी.-फिरोज को 2013 के आपराधिक संदर्भ संख्या 09 के रूप में दर्ज किया गया था। आरोपी मोहम्मद। फिरोज़ ने 2013 की आपराधिक अपील संख्या 2920 के रूप में एक अपील भी दायर की थी और आरोपी राकेश चौधरी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की आपराधिक अपील संख्या 3132 के रूप में एक अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने आरोपित राकेश चौधरी द्वारा दायर 2013 की आपराधिक अपील संख्या 3132 की अनुमति दी और उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया, हालांकि, आरोपी मोहम्मद द्वारा दायर 2013 की आपराधिक अपील संख्या 2920 को खारिज कर दिया। फिरोज ने उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। इससे व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

प्रमाणः -

सूचना देने वाले के परिचित-पीड़ित की मां रामकुमारी से पूछताछ की गई। मुखबिर रामकुमारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि 17 तारीख को अप्रैल, 2013 में शाम करीब 7 बजे, जब वह अपना काम खत्म करके घर आई, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति (आरोपी-फिरोज खान) [2022] 19 एस. सी. आर. पर बैठा था।

कुछ समय बाद जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी पूजा और उसके भाई का बेटा रामकिशन आंगन में नहीं थे और उक्त फिरोज भाईजान भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने पूजा और रामकिशन की खोज शुरू की, और उसने रामकिशन को एक पॉलीथीन बैग में केले के साथ आते देखा। जब उससे पूछा गया कि पूजा कहाँ है तो रामकिशन ने उसे बताया कि भाईजान पूजा को अपने साथ ले गया है। इसके बाद उसने पूजा की तलाश जारी रखी लेकिन वह नहीं मिली। इसलिए, वह अपनी बहन ज्योति के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन, घनसौर गई। लापता व्यक्ति की उक्त रिपोर्ट लगभग 20 बजे दर्ज की गई थी: 35 पुलिस स्टेशन, घनसौर में (प्रदर्शनी पी-1)। उसने अदालत के समक्ष आगे गवाही दी कि अगले दिन, जो लोग खुले में शौच करने के लिए बाहर जाते हैं, वे उसके घर आए और उसके भाई श्याम को बताया कि एक लड़की खेत में बेहोश पड़ी थी। इसलिए उसका भाई खेत में गया और पाया कि पीड़िता वहां बेहोश पड़ी थी और उसकी नाक और जननांगों से खून बह रहा था। इसके बाद, वह अपनी माँ हिम्माबाई के साथ और उसके भाई श्याम उसकी बेटी पूजा को पुलिस स्टेशन ले गया और फिर घनसौर अस्पताल ले गया, हालांकि पूजा बेहोश हो गई। इसके बाद उनकी बेटी को घनसौर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज, जबलपुर ले जाया गया और फिर इलाज के लिए हवाई मार्ग से नागपुर ले जाया गया, जहां उसे देखभाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी बेटी का उक्त अस्पताल में लगभग 08 दिनों तक इलाज किया गया और 29 अप्रैल, 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। उसने आगे कहा कि घनसौर, जबलपुर और नागपुर जैसे सभी स्थानों के डॉक्टरों ने, जहां उसकी बेटी का इलाज हुआ था, बताया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी गर्दन का गला घोंटकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद नागपुर पुलिस ने एक रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-2) दर्ज की थी। अपने बयान के दौरान, उसने आरोपी-अदालत में मौजूद फिरोज की पहचान की थी और कहा था कि वह वही भाईजान था। उसने यह भी कहा कि उक्त फिरोज ने पूजा के साथ बलात्कार किया था और उसे चोटें पहुंचाई थीं जिससे उसकी मौत हो गई थी। उक्त संस्करण

पीडब्लू-1 रामकुमारी को गवाह पीडब्लू-2 मधु यादव का पूरा समर्थन प्राप्त था, जो मृतक की बहन थी, पीडब्लू-6 हिमाबाई एमओएचडी।

8. पीडब्लू-4 नितिन नामदेव फल विक्रेता थे। उन्होंने पदच्युत किया कि लगभग 7 बजे, सफेद कमीज और काली पूर्ण पैंट पहने एक व्यक्ति एक लड़की और एक लड़के के साथ आया था, दोनों की उम्र लगभग चार साल थी, और उसने अपनी दुकान से छह केले खरीदे थे। उसने अदालत में बैठे आरोपी फिरोज की भी पहचान की और कहा कि वह उसकी दुकान पर आया था। उन्होंने आगे कहा कि उक्त व्यक्ति ने लड़के को तीन केले दिए थे और उसे घर जाने के लिए कहा था और चार साल की लड़की को अपने साथ ले गया था, और फिर क्रॉसिंग की ओर चला गया था। अगले दिन उसे पता चला कि बिजली संयंत्र में काम करने वाले फिरोज नाम के एक व्यक्ति ने लड़की के साथ बलात्कार किया है और उसकी हत्या कर दी है, और वह वही व्यक्ति है जिसने उसकी दुकान से केले खरीदे थे। में जिरह में उसने कहा था कि घटना के कुछ दिनों बाद, तहसीलदार ने उसे एक स्कूल आने के लिए कहा था, जहाँ उसने आरोपी फिरोज की पहचान की थी।

9. पीडब्लू-5 श्याम यादव, जो रामकुमारी का भाई और पीड़ित का मामा था, ने कहा था कि वह अपनी माँ और बहन के साथ नहीं रह रहा था, हालाँकि, जिस दिन पीड़ित लापता पाया गया था, वह उनके साथ रह गया था। अगले दिन सुबह, गाँव के कोटवार संतोष दास आए और उन्हें सूचित किया।

कि एक लड़की बद्री यादव के खेत में लेटी हुई थी। इसलिए वह कोटवार के साथ खेत में गया और देखा कि लड़की-पूजा झूठ बोल रही थी।

बेहोशी की हालत में उसके नथुने से खून बह रहा था।

उसे [2022] 19 एस. सी. आर. भी देखा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसके शरीर के पास अंडरवियर, केले की खाल और कुछ पैसे पड़े हुए थे। वह पूजा को पहले पुलिस स्टेशन घनसौर ले गया और वहां से उसे इलाज के लिए घनसौर अस्पताल ले गया। उनके अनुसार, चूंकि उनकी हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए उन्हें जबलपुर के अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। 10. गवाहों के दूसरे समूह में, अभियोजन पक्ष ने पीड़ित का इलाज करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की थी। पीडब्लू-17 डॉ. भारती सोनकेशरिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घनसौर की चिकित्सा अधिकारी थीं।

18.04.2013 पर सुबह लगभग 7:30 बजे पीड़ित की जाँच की गई। उसने कहा था कि रोगी बेहोश था, और उसकी नाक से और उसकी योनि से भी खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज, जबलपुर रेफर कर दिया गया। उनकी चिकित्सा रिपोर्ट को प्रदर्शनी पी-36 के रूप में चिह्नित किया गया था। पीडब्लू-20 डॉ. भारती साहू, मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में सहायक प्रोफेसर ने कहा था कि लगभग 9:30 बजे पूजा नाम की एक लड़की को पुलिस स्टेशन, घनसौर के पुलिस कांस्टेबल दिलीप राजपूत द्वारा इलाज के लिए लाया गया था और उसने पाया था कि पूजा बेहोश थी और उसे दौरे पड़ रहे थे। उल्लेख करने के बाद चोटों के कारण, उसने मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-40) में कहा था कि पीड़िता का हाइमेन यौन संभोग के कारण टूटा हुआ पाया गया था और उस पर बलात्कार किया गया था। पी. डब्ल्यू.-21 डॉ. हेमंत, जबलपुर अस्पताल, जबलपुर में एक निजी चिकित्सा व्यवसायी (बाल रोग विशेषज्ञ) ने भी पूजा की जांच की और सी. टी. स्कैन किया। उसने उसके मस्तिष्क में सूजन पाई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी और इसलिए उन्हें नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया था।

11. पीडब्लू-29 डॉ. दीपक रामरतन गोयल, देखभाल अस्पताल, नागपुर के बाल चिकित्सा सर्जन ने 20 अप्रैल, 2013 को लगभग

11.00 पी. एम. कुमारी पूजा यादव को जबलपुर अनुसंधान केंद्र से एयर एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल लाया गया। लड़की बेहोश थी और उसे कृत्रिम श्वसन पर रखा गया था। उन्हें तुरंत बच्चों की गहन देखभाल इकाई में भर्ती कराया गया। उसने ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके मस्तिष्क में सूजन और उसकी योनि क्षेत्र पर कई चोटें पाई थीं। उनके अनुसार, सभी प्रयासों के बावजूद लड़की को बचाया नहीं जा सका और 29 अप्रैल, 2013 को शाम 7:45 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उनके अनुसार, मृत्यु का कारण "योनि के साथ हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी" था।

कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के साथ चोट "यानी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण, मुंह और गर्दन के दबाव के कारण और जननांग अंग में अत्यधिक चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उनके द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्शनी पी-50 के रूप में चिह्नित किया गया था।

एम. एच. डी. एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

12. पीड़ित का पोस्टमार्टम पीडब्लू-24 डॉ. इप गंगाधर दीक्षित, प्रोफेसर और फॉरेंसिक मेडिसिन में एच. ओ. डी. द्वारा किया गया था।

30 अप्रैल, 2013 को मेडिकल कॉलेज, नागपुर में ओलंपिक खेलों के साथ। उन्होंने पोस्टमॉर्टम नोट में निम्नलिखित दर्ज किया थाः

बिट पी-44)

" 1. मृतक ने अस्पताल की शर्ट और पजामा पहना हुआ था। मुँह के ऊपरी भाग में 8 दाँत और निचले भाग में 10 अस्थायी दाँत थे। दाएँ ऊपरी छेदक दाँत और बाएँ ऊपरी पार्श्व छेदक दाँत अनुपस्थित थे। बाएँ ऊपरी केंद्रीय छेदक दाँत के नीले रंग के सूजे हुए मसूड़ों के साथ ढीला था

आसपास।

1. बाहरी जननांगों की जांच करने पर, मैंने पाया था कि

लैबिया मेजरा और लैबिया मिनोरा संदूषित, एडिमेटस के साथ नीला मलिनकिरण। सतही आंशिक रूप से ठीक योनि

6 "0" घड़ी की स्थिति में 0.3 से. मी. x 0.3 से. मी. आकार का घाव। वजाइनल कैनाल एडिमेटस और हाइपरमिक। हाइमेन

3. 6 और 7 बजे की स्थिति में फट गया। हाइमेनल का फैलाव

उद्घाटन। मूत्रमार्ग के मांस में सूजन और चोट लगी होती है।

2. शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं मृतकः

1. ऊपरी भाग पर मौजूद आंशिक रूप से ठीक घाव

0. 2 आकार के श्लेष्मा क्षेत्र को शामिल करते हुए मध्य रेखा में होंठ। से. मी. x 2 से. मी. मांसपेशियों का गहरा आसपास का क्षेत्र दूषित, नीला।

2. मध्य रेखा में निचले होंठ पर मौजूद आंशिक रूप से ठीक किए गए घाव जिसमें 0.2 x 0.2 सेमी आकार का श्लेष्मा क्षेत्र शामिल है

मांसपेशियों का गहरा आसपास का क्षेत्र दूषित, नीला।
3. दाहिने तरफ गर्दन के पार्श्व पहलू पर मौजूद घर्षण, दाहिने मास्टॉइड हड्डी की नोक से 3 सेमी नीचे 2 सेमी x 2

सेंटीमीटर गहरा भूरा।

4. घर्षण चोट सं. 2 से. मी. से नीचे होता है। 3 आकार 2 सेमी x 0.3 सेमी।
5. ऊपरी दाएँ उपमंडिबुलर क्षेत्र पर मौजूद घर्षण

आकार का क्षेत्र 0.3 सेमी x 0.3 सेमी। 6. दाहिने तरफ गर्दन के पिछले हिस्से पर मौजूद घर्षण

सी-7 कशेरुका का स्तर 0.40 सेमी x 0.40 सेमी आकार का।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. आकार के दाहिने इंट्रा स्कैप्युलर क्षेत्र पर मौजूद घर्षण

0.2 से. मी. x 0.20 से. मी.

8. 1. 5 से. मी. x 0.5 से. मी. आकार के बाएं स्कैप्युलर क्षेत्र पर मौजूद घर्षण। 9. आकार के दाहिने तरफ पेट के निचले हिस्से पर कई घर्षण होते हैं जो 0.3 से. मी. x 0.2 से. मी. से लेकर 0.2 से. मी. तक होते हैं। से. मी. x 0.1 से. मी.

10. पीछे के पहलू पर मौजूद कई रैखिक घर्षण

4 से. मी. x 2 से. मी. से 3 से. मी. x 1 से. मी. तक के आकार के 4 से. मी. x 3 से. मी. के क्षेत्र में बायीं जांघ का मध्य भाग। 11. ट्रेकियोटोमी घाव गर्दन के पूर्ववर्ती पहलू पर स्थित स्थान में स्टिच के साथ होता है जो वेंटिलेटर के लिए किया जाता है।

12. अगले के दाहिने तरफ एक छेद जिसका आकलन करने के लिए बनाया गया है

केंद्रीय शिरापरक दबाव।

13. हाथों की दोनों कोहनी पर मौजूद पंचर के निशान, दाहिनी कलाई का ऊपरी भाग, दाहिने हाथ का पृष्ठभाग और दोनों

आई. वी. तरल पदार्थ देने के लिए पैर।

14. शरीर की आंतरिक जांच करने पर, मैंने

निम्नलिखित पाया गयाः -

1. निमोनिया के लक्षण उनके दाहिने फेफड़े में पाए गए थे। गर्दन की आंतरिक मांसपेशियों में खून का थक्का जम गया। सभी अंग भीड़भाड़ वाले पाए गए। मस्तिष्क पाया गया एडेमेटस "।

13. उक्त चिकित्सक ने बयान दिया था कि शरीर पर पाए गए सभी घाव पूर्व-शव परीक्षण और मृत्यु के कारण के बारे में राय थे

आरक्षित रखा गया था। इसके बाद, 15.05.2013 पर, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट

14. अभियुक्त फिरोज की चिकित्सकीय जांच पीडब्लू-18 डॉ. दीपेंद्र सल्लामे, सी. एच. सी. लखनाडों, जिले के चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई थी। सिवनी ने 25.04.2021 पर और अपनी जांच के बाद, उसने राय दी थी कि आरोपी फिरोज यौन संबंध बनाने में सक्षम था। डॉक्टर ने मोहम्मद के वीर्य की दो वीर्य स्लाइड तैयार की थीं और उन्हें सील कर दिया था। फिरोज और उनके पास एम. ओ. एच. डी. भी था।

एक सफेद स्थान को घेरते हुए उक्त फिरोज के काले रंग के अंडरवियर को सील कर दिया था और उसे उक्त कांस्टेबल को सौंप दिया था। उनकी परीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्शनी पी-39 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। पीडब्लू-23 डॉ. विनोद दहायत, जिला अस्पताल, सिवनी के चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास आरोपी फिरोज को आईडी1 पर लाया गया था, ने डी. एन. ए. परीक्षण के लिए उसके रक्त का नमूना लिया था। उसने आरोपी फिरोज की तस्वीर को भी सत्यापित किया था। उक्त डॉक्टर ने अदालत में बैठे आरोपी फिरोज की पहचान यह कहते हुए की थी कि वह वही व्यक्ति था जिसका रक्त का नमूना लिया गया था और जिसकी तस्वीर उसके द्वारा सत्यापित की गई थी।

15. पीडब्लू-25 डॉ. पंकज श्रीवास्तव, एफएसएल, सागर के वैज्ञानिक अधिकारी ने वर्तमान मामले से संबंधित लेख प्राप्त किए थे।

पुलिस अधीक्षक, सिवनी का दिनांकित 21.04.2013 का पत्र, कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन घनसौर द्वारा 24.04.2013 पर लाया गया, और पुलिस स्टेशन अधीक्षक, सिवनी के दिनांकित 04.05.2013 के पत्र के माध्यम से कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन घनसौर द्वारा 06.05.2013 पर लाया गया। डी. एन. ए. परीक्षा आयोजित करना। उन्होंने कहा था कि जाँच के समय, सभी वस्तुएँ सीलबंद स्थिति में पाई गईं और मुहरें अक्षत पाई गईं। उन्होंने प्राप्त लेखों से डी. एन. ए. प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा उपयोग की गई विधि और डी. एन. ए. परीक्षा के आधार पर उनके द्वारा दी गई राय (प्रदर्शनी पी-47) के बारे में भी बताया था। उन्होंने निम्नलिखित रूप में राय दी थी -

" (i) पूजा यादव (अनुच्छेद "ए"), फ्रॉक और स्वाब (अनुच्छेद "एफ") और रक्त के नमूने (अनुच्छेद "जी") के स्रोत फ्रॉक और योनि स्मीयर स्लाइड से समान महिला डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल प्राप्त की गई थी।

((ii) घटना स्थल से प्राप्त बालों से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल (अनुच्छेद "बी") और आरोपी फिरोज के स्रोत रक्त के नमूने (अनुच्छेद "आई") से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल समान है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ये बाल हैं।

तार आरोपी फिरोज के हैं "।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों के अंतिम समूह में पुलिस गवाह, पंच गवाह और तहसीलदार शामिल थे

जिन्होंने टी. आई. परेड का संचालन किया था। पीडब्लू-13 मोहम्मद सुल्तान पुलिस स्टेशन, घनसौर में सहायक उप निरीक्षक थे। उन्होंने डीएसपी आर. एन. पार्तेती के साथ खेत में केले के बाल और खाल पाए थे और उन्हें जब्त ज्ञापन (प्रदर्शनी पी-10) दिनांक 20.04.2013 के अनुसार सील कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि 21.04.2013 पर उन्हें [2022] 19 एस. सी. आर. प्राप्त हुए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिपाही दिलीप से, गवाहों की उपस्थिति में मृतक की एक फ्रॉक और योनि स्लाइड वाला एक सीलबंद पीले रंग का लिफाफा और जब्त ज्ञापन (प्रदर्शनी पी-29) तैयार किया गया था। पीडब्लू-15 हेड कांस्टेबल नियाज़ अहमद ने पुलिस स्टेशन घनसौर में सनहा नं. 747 जैसा कि श्रीमती ने कहा। रामकुमारी यादव

17.04.2013 20 बजेः 35 .

17. पीडब्लू-30 एस. राम मरावी, सब-इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन किंद्राई, जिला सिवनी (एम. पी.) में प्रभारी पुलिस स्टेशन का हिस्सा था।

18. पीडब्लू-33 प्रभारी पुलिस थाना, घनसौर श्री आर. डी. बरथी ने लापता व्यक्ति मामला संख्या 10/13 की जांच की थी। और जाँच के दौरान, यह पाया गया कि कथित अपराध अभियुक्त-फ़िरोज़ द्वारा किए गए थे। इसलिए उन्होंने आई. पी. सी. की धारा 363,366 के तहत अपराध सं. 68/13 दर्ज किया था। (पी-60 प्रदर्शित करें) अभियुक्त के विरुद्ध। उन्होंने अपने द्वारा की गई जांच और आरोपी राकेश चौधरी की गिरफ्तारी के बारे में बताया था। डी. एस. पी. श्री आर. एन. पार्टेटी जिन्होंने कार्य किया था

आगे की जाँच की जाँच पीडब्लू-34 के रूप में की गई। उन्होंने मामले में आरोप पत्र दायर होने तक अपने द्वारा की गई जांच के विवरण के बारे में गवाही दी थी। पीडब्लू-16 तहसीलदार श्री सुधीर जैन ने सिवनी में अभियुक्त-मोहम्मद की पहचान परेड का संचालन किया था। फिरोज। उनके अनुसार, गवाह श्रीमती. रामकुमारी, प्रीति यादव, नितिन नामदेव और

टी. आई. परेड के दौरान हिमाबाई ने आरोपी की पहचान की थी। 19. महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी-फिरोज ने Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज अपने आगे के बयान में अपने घर की यात्रा के बारे में स्वीकार किया था।

श्याम के बारे में पूछताछ करने के लिए अन्य आरोपी राकेश चौधरी के साथ पीड़ित। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया था कि उसने श्याम की मां को बताया था कि वह (आरोपी) गोरखपुर से आया था और डस्सी यादव के घर में रह रहा था। अभियुक्त ने गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्शनी पी-54 के अनुसार अपनी गिरफ्तारी और मुख्य एम. ओ. एच. डी. से पारगमन रिमांड प्राप्त करने के बाद उसे घनसौर लाए जाने के बारे में भी स्वीकार किया।

एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

न्यायिक मजिस्ट्रेट, भागलपुर। दूसरे आरोपी-राकेश चौधरी (जिसे उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है) ने अपने आगे के बयान में इस हद तक स्वीकार किया था कि वह आरोपी-फिरोज के साथ रामकुमारी के घर गया था, हालांकि, उसके अनुसार आरोपी फिरोज को घर दिखाने के बाद, वह घर से चला गया था। उन्होंने अपने बचाव के समर्थन में दो गवाहों यानी डी. डब्ल्यू.-1 विरेंद्र चौधरी, जो उनके घर के बगल में रह रहे थे और डी. डब्ल्यू.-2 गोपाल प्रसाद अहिरवार, जिनकी जूते की दुकान के बगल में एक जूते की दुकान थी, से पूछताछ की थी।

विरेन्द्र चौधरी। अदालत को आरोपी-राकेश की ओर से पेश किए गए उक्त साक्ष्य के बारे में विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उनके बरी किए जाने के फैसले को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह अंतिम रूप ले चुका है।

प्रस्तुतियाँः

20. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बी. एच. मार्लापल्ले,

उच्चतम न्यायालय विधि सेवा समिति के माध्यम से नियुक्त अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार तारीख और समय पर पीड़ित के घर अपीलार्थी की यात्रा पर उचित रूप से विवाद नहीं करते हुए और पीड़ित की चिकित्सा रिपोर्ट पर भी विवाद नहीं करते हुए, अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों के साक्ष्य में दिखाई देने वाली कुछ विसंगतियों को उजागर करने का प्रयास किया। मसाल्ती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि पक्षपाती और इच्छुक गवाहों के साक्ष्य की सराहना करते हुए, न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का वजन करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने अपनी इस दलील को साबित करने के लिए इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर भी भरोसा किया कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है, इसलिए पूरी श्रृंखला को उससे परे साबित करने की आवश्यकता है।

ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके उचित संदेह, जिसे अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा। निचली अदालत भी अभियुक्त के संज्ञान में दोषारोपण के संबंध में स्पष्ट प्रश्न लाने में विफल रही थी। अभियुक्त के खिलाफ सबूत। "अंतिम बार देखा गया सिद्धांत" जैसा कि प्रस्तावित किया गया है

अभियोजन पक्ष भी साबित नहीं हुआ जो आरोपी को कथित अपराध से जोड़ सकता है। केवल इसलिए कि आरोपी ने पीड़िता के स्थान पर अपनी यात्रा स्वीकार की थी, आरोपी के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि उसने बलात्कार और हत्या के कथित अपराध को अंजाम दिया था। Cr.P.C की धारा 313 के प्रावधानों को लागू करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि

उक्त प्रावधानों का ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन किया जाना चाहिए। का ध्यान 1 1
आकाशवाणी 1965 एससी 202 [2022] 19 एससीआर

अभियुक्त को आरोप में विशिष्ट बिंदुओं की ओर खींचा जाना चाहिए और

वह साक्ष्य जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष दावा करता है कि उसके खिलाफ मामला बनाया गया है ताकि वह ऐसा स्पष्टीकरण दे सके जो वह देना चाहे। इस संबंध में श्री बी. एच. मार्लापल्ले ने अजय सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है। महाराष्ट्र राज्य 2. श्री मार्लापल्ले ने यह भी कहा कि घटना के समय जांच एजेंसी पर मीडिया का बहुत दबाव था

आपराधिक मुकदमा निष्पक्ष और निष्पक्ष मुकदमे का संचालन करने के लिए है बाहरी विचार से प्रभावित। इस संबंध में, उन्होंने के. अनबाझगन बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। पुलिस अधीक्षक & Ors.[3] और ज़हिरा के मामले में

हबीबुल्लाह शेख और अन्र। बनाम गुजरात राज्य और Ors.[1]

21. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री पी. वी. योगेश्वरन ने जोरदार ढंग से कहा कि यह अपीलार्थी द्वारा किए गए जघन्य और घृणित अपराधों में से एक था

अभियुक्त। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य पर भरोसा करने और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के बाद, यह न्यायालय उन साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं कर सकता है जिनकी उक्त दोनों न्यायालयों द्वारा पहले ही उचित रूप से सराहना की जा चुकी है। उनके अनुसार, अपीलार्थी अभियुक्त ने राकेश चौधरी के साथ पीड़ित के घर जाने की बात स्वीकार करके, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अपनी गिरफ्तारी स्वीकार करके और पीड़ित की चिकित्सा रिपोर्ट पर विवाद नहीं करके, अभियोजन पक्ष पर उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने का आधा बोझ कम कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि गवाहों के साक्ष्य में हर मामूली विरोधाभास या विसंगतियों को प्रमुख विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए अदालत को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को दरकिनार करने की आवश्यकता होती है। यह विधिवत साबित हुआ कि पीड़िता को अंत में आरोपी के साथ देखा गया था और यह आरोपी की विशेष जानकारी में था कि जब वह पीड़िता को फलों की दुकान से अपने साथ ले गया तो उसके साथ क्या हुआ।

2 (2007) 12 एस. सी. सी. 341

3 (2004) 3 एससीसी 767

4 (2006) 3 एससीसी 374 एमओएचडी।

एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

विक्रेता। पीड़ित को अंत में आरोपी के साथ देखे जाने और उस समय के बीच का अंतराल जब वह खेत में बेहोश पाई गई थी, इतना निकट था कि एक निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता थी कि यह था

अकेले अभियुक्त जिसने कथित अपराध किया था। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि गलत मुकदमे या मुकदमे की शिकायत निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई थी, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा न तो निचली अदालत के समक्ष मुकदमे के दौरान या अपीलीय चरण से पहले भी नहीं ली गई थी, और

इसे इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाने की मांग की गई है जिस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

विश्लेषण और परिणामः

अपीलार्थी द्वारा-अभियुक्त ने धारा 313 के तहत अपने आगे के बयान में Cr.P.C, कथित घटना की पिछली शाम पीड़ित के घर जाने की तरह, और उसे संबंधित अदालत द्वारा दिए गए पारगमन रिमांड के अनुसार, भागलपुर, बिहार से गिरफ्तार करके वापस लाए जाने के बाद, कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। कानून के साथ

जब अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है तो साक्ष्य के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से निपटाया जाता है। शरद बर्डीहिचंद के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पाँच सुनहरे सिद्धांत

सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 और निर्णयों के कैटेना में अनुसरण किए जाने वाले, पुनः प्रस्तुत करने योग्य हैंः

" 153. इस निर्णय के बारीकी से विश्लेषण से पता चलेगा कि उनके खिलाफ मामले से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

एक अभियुक्त को पूरी तरह से स्थापित कहा जा सकता हैः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलता है

खींचा जाना पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं। केवल एक व्याकरण नहीं है बल्कि एक कानूनी है

"साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच का अंतर जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव में कहा था

बोबडे वी. महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एससीसी 793: 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1033: 1973 सी. आर. एल. एल. जे. 1783] जहाँ अवलोकन किए गए थे।

5 1984 (4) एससीसी 116 [2022] 19 एस. सी. आर.

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है।

और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करता है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया नहीं जाना चाहिए सिवाय इसके कि -

अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और

प्रवृत्ति,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े।

अभियुक्त की निर्दोषता के साथ और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य द्वारा किया गया होगा

अभियुक्त "।

23. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए हम जांच करें कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया था, परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला, आरोपी के लिए कानून के चंगुल से बचने के लिए कोई कड़ी गायब नहीं छोड़ी थी। कथित तिथि और समय पर राकेश चौधरी के साथ वर्तमान अपीलार्थी की यात्रा के संबंध में पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी और जिसे अपीलार्थी ने स्वीकार किया था। इस तरह की स्वीकारोक्ति से उनकी पहचान भी साबित हो गई थी। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता है कि कोई भी दोषसिद्धि इसके आधार पर नहीं हो सकती है Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त का बयान और अभियोजन पक्ष को अभियुक्त का अपराध साबित करने के लिए आगे बढ़ना होता है।

स्वतंत्र और ठोस साक्ष्य, फिर भी यह समान रूप से तय किया गया है

कानून का प्रस्ताव है कि जब अभियुक्त दोषारोपण और दोषमुक्ति बयान देता है, तो बयान के दोषारोपण भाग को अभियोजन के मामले को विश्वास दिलाने के लिए सहायता ली जा सकती है। इस न्यायालय ने मोहन सिंह बनाम के मामले में धारा 313 Cr.P.C के तहत दिए गए अभियुक्तों के दंडात्मक और दंडात्मक बयानों के मुद्दे पर विचार करते हुए बहुत उपयुक्त टिप्पणियां की हैं। प्रेम सिंह & Anr.6 6 (2002) 10 एससीसी 236 एमओएचडी।

एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

" 27. धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत अभियुक्त द्वारा बचाव में दिए गए बयान को निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य को विश्वास दिलाने के लिए सहायता ली जा सकती है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत इस तरह के बयान के केवल एक हिस्से को ही उसकी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस विषय पर कानून लगभग तय कर चुका है कि आरोपी के सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान पर या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से भरोसा किया जा सकता है। उनके बयान के उत्तेजक भाग पर भरोसा करना भी संभव हो सकता है यदि उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर उत्तेजक भाग गलत पाया जाता है।

अभियोजन। निशी कांत झा बनाम देखें। बिहार राज्य [(1969) 1 एससीसी 347: ए. आई. आर 1969 एस. सी. 422]: (एससीसी पीपी। 357-58 , पैरा 23)

" 23. इस मामले में कथन का उत्तेजक भाग

प्रदर्शनी 6 न केवल स्वाभाविक रूप से असंभव है बल्कि है अन्य सबूतों से विरोधाभासी। इस कथन के अनुसार, अपीलार्थी को जो चोट लगी, वह पीड़ित पर हमले को रोकने के लिए अपीलार्थी द्वारा लाल मोहन शर्मा का हाथ पकड़ने के प्रयास के कारण हुई थी। सी. आर. पी. सी. की धारा 342 के तहत स्वयं आरोपी के बयान से इसका खंडन किया गया था कि उसे एक व्यक्ति के साथ हाथापाई में चोट लगी थी।

चरवाहा। उनके शरीर पर पाई गई चोट जब डॉक्टर द्वारा 13-10-1961 पर उनकी जांच की गई तो ये दोनों संस्करण नकारात्मक हो गए। इन संस्करणों में से कोई भी अत्यधिक रक्तस्राव के लिए जिम्मेदार नहीं है जिसके कारण उन्होंने अपने कपड़े धोए और पात्रो नदी में स्नान किया, रक्तस्राव की मात्रा और रक्त के धब्बों को धोना इतना महत्वपूर्ण था कि राम किशोर पांडे, पीडब्लू 17 का ध्यान आकर्षित किया और उनसे इसका कारण पूछा। खून बहना कोई साधारण बात नहीं थी क्योंकि उसके कपड़े खून से सना हुआ था और साथ ही उसकी किताबें, उसकी व्यायाम की किताब और उसकी बेल्ट और जूते भी। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उसके व्यक्ति पर जो चाकू मिला था, वह खून से सना हुआ था।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार यह चाकू हो सकता है

पीड़ित पर चोटों का कारण था। में।

इस तरह की परिस्थितियों में बयान के उत्तेजक भाग को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं प्रदर्शनी 6 में अपीलार्थी उच्च न्यायालय ने सही काम किया था [2022] 19 एस. सी. आर.

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपीलार्थी अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था, उपदेशक भाग को स्वीकार करने और अन्य साक्ष्य के साथ उसे छेदने में।

28 .....

29 .....

" 30. सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है। इसका उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य को स्वीकार करने या स्वीकार करने के लिए किया जा सकता है।

इसे अस्वीकार करें। हालाँकि, यह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का विकल्प नहीं है। जैसा कि निशिकांत [(1969) 1 एस. सी. सी. 347 के मामले में कहा गया हैः ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 422] इस न्यायालय द्वारा, यदि दंडात्मक भाग

उसके बयान को झूठा पाया जाता है और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य विश्वसनीय है, उसके बयान के आक्षेपात्मक भाग को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को आश्वासन देने के लिए सहायता ली जा सकती है। यदि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके बयान का अपमानजनक हिस्सा

उसे उसके विश्वास का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है।

24. तत्काल मामले में भी, हालांकि अपीलार्थी अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल उसकी परिस्थितियों को स्वीकार करने पर नहीं की जा सकती थी के पिछले दिन शाम को सूचना देने वाले के घर की उसकी यात्रा

दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को आश्वासन देने के लिए इस तरह के प्रवेश की निश्चित रूप से सहायता ली जा सकती थी।

25. अगली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत के संबंध में थी। इस संबंध में, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों के बयान, विशेष रूप से पीडब्लू-1 रामकुमारी यानी पीड़ित की मां, पीडब्लू-6 हिमाबाई यानी पीड़ित की दादी, पीडब्लू-7 प्रीति यादव यानी पीड़ित की चाची और पीडब्लू-31 राम किशन की बारीकी से सराहना की जाती है, तो

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विधिवत साबित हो गया था कि जब हिमाबाई ने राकेश चौधरी को अपीलकर्ता-अभियुक्त को अनुमति देने से इनकार कर दिया था

राकेश चौधरी अपने घर पर रहने के लिए घर से निकल गए थे, लेकिन अपीलकर्ता मुखबिर रामकुमारी के घर के आंगन में बैठा रहा। यह भी साबित हुआ कि उस समय पीड़ित अपने चचेरे भाइयों के साथ उक्त प्रांगण में खेल रही थी और कुछ समय बाद अपीलार्थी-आरोपी, पीड़ित और राम किशन को प्रांगण में नहीं देखा गया। पीड़ित की माँ रामकुमारी के अनुसार, जब वह एम. ओ. एच. डी. थी।

एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

अपनी बेटी की तलाश में, उसने देखा कि राम किशन केले से भरा एक पॉलिथीन बैग लेकर आ रहा था, और राम किशन ने उसे बताया कि उक्त केले अपीलार्थी भाईजान ने दिए थे, और वह (यानी भाईजान) पीड़ित को अपने साथ ले गया था। उक्त राम किशन पीडब्लू-31 के रूप में जांच की गई, हालांकि एक छोटा लड़का था, उसने अदालत के समक्ष अपने बयान में राम कुमारी के उक्त संस्करण की पूरी तरह से पुष्टि की थी। फलों का।

अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच किए गए इनमें से किसी भी गवाह की प्रतिपरीक्षा के दौरान लिया गया ठोस बचाव। गवाहों के साक्ष्य में कुछ मामूली विसंगतियों को अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने या अभियोजन पक्ष पर अविश्वास करने के लिए प्रमुख विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है। राम किशन से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जो लगभग चार साल के थे, जो उन्होंने अपने बयान में कहा था, विशेष रूप से, जब उनकी गवाही सच्ची पाई गई और कब। अभियुक्त की पहचान विवाद में नहीं थी। इसलिए, यह भी विधिवत साबित हुआ कि अपीलार्थी-अभियुक्त पीड़ित को अपने साथ ले गया था।

कथित घटना के शाम को फल विक्रेता नितिन नामदेव की दुकान, जो कि एक बहुत ही मजबूत परिस्थिति थी, आरोपी के खिलाफ साबित हुई।

26. एक बार "आखिरी बार एक साथ देखे जाने" का सिद्धांत स्थापित हो जाने के बाद, अभियुक्त से कुछ स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा की जाती थी जिसके तहत

परिस्थितियों में, उसने पीड़ित की कंपनी को अलग कर दिया था। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में, अभियुक्त के अपराध को साबित करने का पूरा बोझ अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है, फिर भी यदि अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार उसके विशेष ज्ञान के भीतर साबित होते हैं, तो अभियुक्त की ओर से ऐसी विफलता उसके खिलाफ साबित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी भी प्रदान कर सकती है। बेशक, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष का भार अभियुक्त पर नहीं डालती है, न ही अभियुक्त से उन तथ्यों के संबंध में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता होती है जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं, फिर भी अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण देना या न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा, जब "अंतिम [2022] 19 एस. सी. आर". का सिद्धांत है।

एक साथ "जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके खिलाफ साबित होता है कि आरोपी ने पीड़ित की कंपनी को कैसे और कब अलग किया।27. राजेंद्र बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) के मामले में, इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम के 106 के आलोक में "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत पर व्यावहारिक रूप से विचार किया है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

" 12.2. 4 . ऐसा देखने के बाद, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरोपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की तर्कसंगतता कि वह मृतक के साथ कैसे और कब अलग हुआ, का किसी मामले में आखिरी बार देखे गए प्रभाव पर असर पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 में यह प्रावधान है कि किसी भी तथ्य के लिए सबूत का भार जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, ऐसे व्यक्ति पर है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को आखिरी बार मृतक के साथ देखा जाता है, तो उसे इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वह मृतक के साथ कैसे और कब अलग हुआ। दूसरे शब्दों में, उसे एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए जो अदालत को संभावित और संतोषजनक प्रतीत होता है, और यदि वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों के आधार पर ऐसा स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो धारा 106 के तहत उस पर डाला गया बोझ समाप्त नहीं होता है। विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में, यदि अभियुक्त उस पर लगाए गए बोझ के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो

स्वयं श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकते हैं

परिस्थितियाँ उसके खिलाफ साबित हुईं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 106 एक अपराधी के सबूत के बोझ को बदल देती है।

अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जाए। इस तरह का बोझ हमेशा उस पर रहता है

अभियोजन। धारा 106 केवल यह नियम निर्धारित करती है कि जब

अभियुक्त तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो

विशेष रूप से उसके ज्ञान के भीतर हैं और जो नहीं कर सकते हैं

उसके साथ संगत किसी भी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन करें।

बेगुनाही, अदालत एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में स्पष्टीकरण देने में उनकी विफलता पर विचार कर सकती है जो दोषपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करती है।

28. सतपाल बनाम हरियाणा राज्य 'के मामले में इस न्यायालय ने कहा, " 6. हमने संबंधित प्रस्तुतियों और अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार किया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है

) 10 एससीसी 623 बी) 6 एससीसी 610 एमओएचडी।

एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

लेकिन केवल मृतक के तथ्य के साथ परिस्थितियाँ

अपीलार्थी के साथ आखिरी बार देखा गया। अपराधी

न्यायशास्त्र और न्यायिक उदाहरणों की भरमार

जब इसे अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाता है जैसे कि वह समय जब मृतक को आखिरी बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, और शव की बरामदगी समय के बहुत करीब होने के कारण, अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उन परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए जिनके तहत मृत्यु हो सकती है। यदि अभियुक्त कोई पेशकश नहीं करता है

स्पष्टीकरण, या गलत व्याख्या प्रस्तुत करता है, भगोड़ा हो जाता है, उद्देश्य स्थापित हो जाता है, और अन्य बातों के साथ-साथ वसूली के रूप में या अन्यथा परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाने के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध है जो अभियुक्त के अपराध के लिए एकमात्र निष्कर्ष की ओर ले जाता है, जो किसी भी संभावित घटना के साथ असंगत है।

निर्दोषता की परिकल्पना, दोषसिद्धि उसी पर आधारित हो सकती है।

यदि चेन ऑफ लिंक में कोई संदेह या टूट है

परिस्थितियों में, संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मामले की अपने तथ्यों पर जांच करनी होगी।

सिद्धांत के आह्वान के लिए '।

29. उपरोक्त अनुपात के बाद, सूरजदेव महतो बनाम बिहार राज्य के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था -

" 29. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का मामला 'अंतिम बार देखे गए सिद्धांत' के सिद्धांत पर आधारित है। संक्षेप में कहें तो, अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को लागू किया जाता है जहां अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखे जाने और पीड़ित के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध करने वाले होने की संभावना असंभव हो जाती है।

"अंतिम बार जीवित देखे जाने" के सिद्धांत पर विस्तार से बताते हुए, सतपाल बनाम के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ। हालाँकि, हरियाणा राज्य (2018) 6 एस. सी. सी. 610 ने आगाह किया है कि जब तक अंतिम बार देखे गए तथ्य की पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से नहीं होती है, तब तक यह तथ्य कि मृतक को आखिरी बार आसपास के क्षेत्र में देखा गया था।

अभियुक्त, अपने आप में, केवल एक कमजोर प्रकार का सबूत होगा।

न्यायालय ने आगे कहाः

..... स्पष्ट रूप से कहा गया है, यह एक कमजोर प्रकार का सबूत हो सकता है

स्वयं को उसी पर एकमात्र विश्वास पाने के लिए। लेकिन जब इसे अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाता है जैसे कि वह समय जब मृतक को आखिरी बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, और शव की बरामदगी समय के बहुत करीब थी, तो अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण देना होता है। जिन
परिस्थितियों में मृत्यु हुई होगी, उनके संबंध में। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या गलत स्पष्टीकरण देता है, तो भगोड़ा हो जाता है, उद्देश्य स्थापित हो जाता है, और अन्य बातों के साथ-साथ पुष्टि करने वाले साक्ष्य उपलब्ध होते हैं।

पुनर्प्राप्ति या अन्यथा परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाना अभियुक्त के अपराध के लिए एकमात्र निष्कर्ष की ओर अग्रसर करते हुए,

निर्दोषता की किसी भी संभावित परिकल्पना के साथ असंगत,

दोषसिद्धि उसी पर आधारित हो सकती है। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला के संबंध में कोई संदेह या दरार है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मामले को सिद्धांत के आह्वान के लिए अपने स्वयं के तथ्यों पर जांचना होगा।

30. हम जल्दबाजी में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि अंतिम बार देखे गए तथ्य को अलग से नहीं तौला जाना चाहिए या अभियोजन पक्ष के नेतृत्व वाले अन्य साक्ष्यों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि अंतिम देखे गए सिद्धांत को मामले को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए

पूरी तरह से अभियोजन। इसलिए, न्यायालयों को न केवल अंतिम बार देखे गए तथ्य पर विचार करना होगा, बल्कि उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा जो मृतक की उपस्थिति में अंतिम बार देखी गई थीं।

आरोपित।

30. तत्काल मामले में, हालांकि यह विधिवत साबित हो गया था कि अपीलार्थी आरोपी पीड़ित को फल विक्रेता की दुकान से अपने साथ ले गया था,

अपीलार्थी द्वारा आई. डी. 1 की धारा 313 के तहत अपने आगे के बयान में न तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया था और न ही गवाहों की जिरह के दौरान कोई ठोस बचाव किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि कथित घटना के बाद, वह बिहार में अपने पैतृक स्थान भाग गया था। मान लीजिए कि उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था और भागलपुर में संबंधित अदालत से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद उन्हें वापस लाया गया था। फरार अभियुक्त का उक्त आचरण भी

यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ विधिवत साबित किया गया था।

31. जहां तक समय की निकटता का सवाल है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पीड़ित की मां रामकुमारी को सूचित किया जा रहा है

राम किशन (पीडब्लू-31) द्वारा कि भाईजान अर्थात अपीलार्थी पीड़ित को अपने साथ ले गया था, उक्त रामकुमारी अपनी माँ हिम्माबाई और अन्य लोगों के साथ तुरंत घनसौर के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी (प्रदर्शनी पी-1)। यह सच है कि कोई नहीं था

उक्त रिपोर्ट में अपीलार्थी के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष आरोप, हालांकि, उस समय, सूचना देने वाले को अपीलार्थी के बुरे इरादे के बारे में पता नहीं था, और ऐसा कोई अपराध कथित तौर पर नहीं किया गया था। अगले दिन सुबह जब पीड़ित को बदरी यादव के खेत में बेहोशी की हालत में पाया गया, तभी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई

32. इस प्रकार, अन्य साक्ष्यों के साथ, अभियोजन पक्ष ने उस समय की निकटता साबित कर दी थी जब पीड़ित को आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। अपीलार्थी और जब पीड़ित को बेहोश और घायल अवस्था में पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पी. डब्ल्यू.-25 डॉ. पंकज श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी, एफ. एस. एल., सागर द्वारा प्रदर्शनी पी.-47 में दी गई राय के अनुसार, घटना स्थल से पाए गए बालों से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल और अपीलार्थी के रक्त के नमूने के स्रोत से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल समान थी, और पुष्टि की कि बाल केवल अपीलार्थी के थे।

निष्पक्ष सुनवाईः -

33. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मार्लापल्ले द्वारा उठाए गए अगले मुद्दे पर आते हुए कि मुकदमा मेले में आयोजित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, यह ध्यान दिया जा सकता है कि निष्पक्ष मुकदमे की अवधारणा को न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 39 ए में, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 में भी स्थापित किया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण [2022] 19 एस. सी. आर. है।

गांधी बनाम यू. ओ. आई. 1, यह स्पष्ट किया गया है कि आपराधिक मुकदमों में प्रक्रिया सही, न्यायसंगत और निष्पक्ष होनी चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 39 ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। आई. डी. 1 की धारा 304 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां सत्र न्यायालय के समक्ष एक मुकदमे में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा नहीं किया जाता है, और जहां अदालत को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास एक वकील को शामिल करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो अदालत राज्य की कीमत पर अपने बचाव के लिए एक वकील नियुक्त करेगी। इस न्यायालय ने समय-समय पर भारत के संविधान में निहित विभिन्न गारंटी से प्राप्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भावना के साथ अदालतों द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर भी जोर दिया है। हम इस स्तर पर जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार पीड़ित पर उतना ही लागू होता है जितना कि आरोपी पर। त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार लागू होता है पीड़ित भी। अतः अपराध की गंभीरता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यदि न्यायालय द्वारा मुकदमे में तेजी लाई जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह का मुकदमा अभियुक्त के लिए उचित नहीं था। बेशक, तेजी से करते हुए

विचारण, न्यायालय पर यह देखना अनिवार्य है कि विचारण के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

34. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था या

कि अपीलार्थी-अभियुक्त को कानूनी सहायता या कानूनी सहायता से वंचित होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। निचली अदालत ने खर्च पर एक वकील नियुक्त करके दोनों अभियुक्तों को कानूनी सहायता प्रदान की

राज्य, जिसने अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए सभी गवाहों से पूरी तरह से जिरह की थी, और आरोपी राकेश चौधरी की ओर से दो गवाहों से भी जिरह की थी। इस तथ्य के अलावा कि दो अलग-अलग वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई अभियुक्त द्वारा दायर दो अलग-अलग अपीलों में मुकदमे के दौरान या उच्च न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई तर्क नहीं उठाया गया था, अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई तर्क नहीं उठाया गया है।

वर्तमान अपील के ज्ञापन में भी अभियुक्त। अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अपनी दलीलों के अंतिम छोर पर मौखिक रूप से प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रस्तुतिकरण को प्रमाणित किए बिना कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई थी,

मनोरंजन किया। अन्यथा भी, यह ध्यान दिया जा सकता है कि आगे का बयान दर्ज करने के दौरान, अपीलार्थी-अभियुक्त ने पूरी तरह से अपने संज्ञान में लाई गई आपत्तिजनक परिस्थितियों का जवाब दिया था। 10 (1978) 1 एससीसी 248 एमओएचडी।

उन्हें दर्ज किए गए उत्तरों से उद्भूत होने के रूप में समझना अदालत। यह संभव है कि विचाराधीन घटना ने बड़े पैमाने पर जनता के साथ-साथ मीडिया के बीच भी आक्रोश पैदा किया होगा।

अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि मीडिया के इस तरह के दबाव के कारण, मुकदमे को मेले में आयोजित नहीं किया गया था

तरीके से।

35. हालाँकि, यह सच है कि "समानता, न्याय और स्वतंत्रता" न्याय के प्रशासन में मान्यता प्राप्त निष्पक्ष मुकदमे की त्रिमूर्ति है, यह समान रूप से है यह सच है कि निष्पक्ष सुनवाई की ऐसी अवधारणा में अभियुक्त, पीड़ित और बड़े पैमाने पर समाज के हितों का त्रिकोण शामिल है। अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिए अति उत्साही दृष्टिकोण में, पीड़ित के अधिकार जो

सबसे अधिक पीड़ितों को या तो कमजोर नहीं किया जाना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह, जघन्य अपराधों से जुड़े मामले, बड़े पैमाने पर समाज भी एक महत्वपूर्ण हितधारक होगा। समाज के हित, जो राज्य और अभियोजन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है, को भी तिरस्कार के साथ नहीं देखा जाना चाहिए।

इसलिए, मुकदमे/अपील का संचालन करने वाली अदालत न केवल अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, बल्कि पीड़ित के अधिकारों और बड़े पैमाने पर समाज के हित की भी रक्षा करने के लिए बाध्य है। आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश को न केवल यह देखना होता है कि निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है, बल्कि यह भी देखना होता है कि दोषी व्यक्ति भाग न सके। जनता के विश्वास को बनाए रखने और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए दोनों उनके सार्वजनिक कर्तव्य हैं जिनका बहुत लगन से निर्वहन किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्षः

36. अभिलेख पर सिद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से उन परिस्थितियों को जो इससे पहले और बाद में थीं यह इंगित करते हुए कि मृतक-पीड़ित को अपीलार्थी अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था, अदालत को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने व्यक्तिगत रूप से सभी परिस्थितियों को उचित संदेह से परे साबित किया था और परिस्थितियों को एक श्रृंखला बनाने के लिए भी साबित किया था, ताकि अपीलार्थी-अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की संभावना को खारिज किया जा सके। यह विधिवत साबित हो गया कि लगभग 4 वर्ष की आयु की छोटी बच्ची-पीड़ित पर बलात्कार और यौन हमले के बर्बर कृत्यों को करते हुए, अपीलार्थी-अभियुक्त ने शारीरिक चोटें पहुंचाई थीं, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए अदालत का मानना है कि निचली अदालत ने अपीलार्थी आरोपी को धारा 272,376 (2) (i) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सही दोषी ठहराया था।

376 (2) (आई. पी. सी. की धारा 363,366 और धारा 6 और [2022] 19 एस. सी. आर. के साथ पठित धारा 5 (आई)।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 (एम)। दोषसिद्धि के उक्त आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी और इस न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है।

37. अगला प्रश्न जो विचार के लिए आता है, वह अपीलार्थी को दी जाने वाली सजा के संबंध में है। निचली अदालत ने अन्य अपराधों के लिए विभिन्न सजाएं देते हुए आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई थी, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में की है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि चूंकि पीड़ित की मृत्यु धारा 376 (2) (आई) और 376 (2) (एम) के तहत अपराध करते समय अपीलार्थी द्वारा की गई चोटों के कारण हुई थी, इसलिए आई. पी. सी. की धारा 376 ए के प्रावधान भी आकर्षित होंगे।

जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, और उस पर आरोप भी लगाया गया था आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (आई) और 376 (2) (एम) के तहत अपराधों के लिए, जैसा कि धारा 376 ए, आई. पी. सी. में शामिल है, जो दोनों के बीच मौत की सजा तक दंडनीय है।

अन्य कम दंड। इसलिए, आरोप में धारा 376 ए का उल्लेख न करने को अभियुक्त को गुमराह करने वाला नहीं कहा जा सकता है, न ही न्याय की विफलता को कारण कहा जा सकता है।

38. यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि यह न्यायालय कानून के संदर्भ में

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 1 मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित और इसी तरह के अन्य मामलों में जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप, कम करने वाले कारकों से संबंधित मुद्दों को छूते हुए, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, राज्य के अधिकारियों को परिवीक्षाधीन अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड पर पेश करने का निर्देश दिया था और निदेशक को निर्देश दिया था

राज्य के जनरल (जेल) को संबंधित जेलों/जेलों से रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए जहां अपीलार्थी था या वर्तमान में बंद है, जेल में रहते हुए उसके द्वारा किए गए उसके आचरण और कार्य की प्रकृति के बारे में। अदालत ने मनोरोग और मनोवैज्ञानिक विकास का भी आह्वान किया था

1 11 (1980) 2 एस. सी. सी. 684 एम. ओ. एच. डी.।

एफ. आई. आर. ओज़ वी. मध्य प्रदेश राज्य

[बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

अपीलार्थी की रिपोर्ट। उक्त अधिकारियों ने अदालत के समक्ष अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 39. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मार्लापल्ले इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहेंगे कि वर्तमान के समान मामलों में, इस न्यायालय ने कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करते हुए मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया है। द.

हाथ में मौजूद मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला" नहीं कहा जा सकता है, जहां मृत्युदंड की तुलना में कम सजा देने का सवाल पूरी तरह से बंद है। उन्होंने अदालत से अपीलार्थी को सजा सुनाने से पहले, दलीलें पूरी होने के बाद रिकॉर्ड में पेश किए गए दस्तावेजों, जैसे परिवार के सदस्यों के हलफनामे, जेल के दस्तावेजों और अपीलार्थी की सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने का आग्रह किया।

40. जैसा कि पहले दिखाया गया है, एक बार फिर सबसे बर्बर और बदसूरत मानव चेहरे सामने आए हैं। एक छोटी सी कली जैसी लड़की को दबा दिया गया था अपीलार्थी द्वारा इससे पहले कि वह इस दुनिया में खिल सके। अपीलार्थी के राक्षसी कृत्यों ने पीड़ित का दम इस हद तक दबा दिया कि उसके पास इस दुनिया को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार फिर, सभी संवैधानिक गारंटी पीड़ित को उसके चंगुल से बचाने में विफल रहे हैं।

अपीलार्थी के कृत्यों को बदनाम करना। न्यायालय की राय में, अपीलार्थी के प्रति दिखाई गई कोई भी सहानुभूति न्याय की विफलता का कारण बनेगी। हालाँकि, इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि कई निर्णयों में, इस न्यायालय ने ऐसे मामले को दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले के रूप में नहीं माना है।

41. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त) के मामले में, संविधान पीठ ने मौत की सजा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया कि मौत की सजा को विधायी नीति के सर्वोपरि संकेतों द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

Cr.P.C की धारा 354 (3) और 235 (2) से, अर्थात्-(i) अत्यधिक दंड केवल अत्यधिक दोष के गंभीरतम मामलों में ही लगाया जा सकता है;

और (ii) वाक्य का चुनाव करने में। अपराध की परिस्थितियों के अलावा, अपराधी की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 2 वाले मामले में, बचन सिंह के मामले में निर्धारित सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

मृत्युदंड देने के लिए "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" के सूत्र के संबंध में कहा गया है कि बचन सिंह के मामले में बताए गए दिशानिर्देशों को हटाना होगा और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा जहां मृत्युदंड देने का सवाल उठता है।

12 2 (1983) 3 एस. सी. सी 470 [2022] 19 एस. सी. आर.

42. शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य के हाल के मामले में, इस अदालत ने पहले के फैसलों पर विचार करते हुए

आई. पी. सी. की धारा 376-ए के साथ पठित धारा 302 के आलोक में कहा गया है कि आई. पी. सी. की धारा 376-ए के तहत मामलों पर विचार करते समय, अदालतों द्वारा दिए जाने वाले दंड के बारे में विचार करने के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से की गई इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए। हालाँकि, इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि अभियुक्त ने जानबूझकर पीड़ित के जीवन को बुझाने के इरादे से कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, और उस मामले में अपराध आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड चौथे के तहत था, इस न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। हाथ में मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ शत्रुघ्न बबन मेशराम के मामले के समान हैं, जिसमें एक अंतर है, आईपीसी की धारा 376 ए तत्काल मामले में लागू होती है।

43. उपरोक्त पर विचार करते हुए, हम, अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संबंध में नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए

उसके खिलाफ आरोपित अपराध, इसे कम करना उचित समझते हैं, और तदनुसार मौत की सजा को कम करते हैं आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास। चूंकि आई. पी. सी. की धारा 376 ए मामले के तथ्यों पर भी लागू होती है, इसलिए अपराध की गंभीरता और गंभीरता को देखते हुए, अपीलार्थी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा होगी।

हालाँकि, एक उपयुक्त वाक्य होने के नाते, हमें याद दिलाया जाता है कि ऑस्कर वाइल्ड ने क्या कहा है-"संत और पापी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक संत का अतीत होता है और प्रत्येक पापी का भविष्य होता है"। इस न्यायालय द्वारा वर्षों से विकसित पुनर्स्थापनात्मक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों में से एक, अपराधी को हुए नुकसान की मरम्मत करने और जेल से रिहा होने पर सामाजिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बनने का अवसर देना भी है। निर्धारित अधिकतम सजा हमेशा नहीं हो सकती है

अपराधी के अपंग मानस की मरम्मत के लिए निर्धारक कारक। इसलिए, प्रतिशोधात्मक न्याय और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के पैमाने को संतुलित करते हुए, हम अपीलार्थी-अभियुक्त पर अपराध के लिए उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास के बजाय बीस साल की अवधि के लिए कारावास की सजा अधिरोपित करना उचित समझते हैं।

आई. पी. सी. की धारा 376 ए। अदालतों द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और सजा

13 13 (2021) 1 एससीसी 596 एमओएचडी।

आई. पी. सी. और पॉक्सो अधिनियम के तहत अन्य अपराधों के लिए नीचे पुष्टि की गई है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लगाए गए सभी दंड एक साथ चलेंगे।

44. समापन से पहले, हम प्रदान की गई अमूल्य सहायता के लिए अपना आभार और प्रशंसा दर्ज करना चाहेंगे और उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति के माध्यम से नियुक्त अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मार्लापल्ले, बी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।

45. अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी गई है।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

अंकित ज्ञान और अनुराग भास्कर

(सहायकः अदनान खान, एलसीआरए)